

पत्रांक-17/विविध-03-19/2019, सा०प्र० 8194 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
शिक्षा विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय:-

पटना-15, दिनांक-20.6.19
विशेष भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत विभाग के अन्तर्गत सविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियोजन की कार्रवाई करने हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि विभागीय पत्रांक-7217 दिनांक 28.05.2019 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के 25 उप सचिव/अवर सचिव स्तर के पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है। श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, शिक्षा विभाग, श्री अशोक कुमार चौधरी, अवर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग एवं श्री अनिल कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनियुक्ति से मुक्त करने के अनुरोध को सम्यक् विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है।

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-42 दिनांक 18.06.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि प्रतिनियुक्त कर्मियों में से कुछ पदाधिकारी कार्य हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसके कारण काउंसलिंग का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग के प्रतिनियुक्त अवर सचिवों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्य करने हेतु अविलंब निदेशित करना चाहेंगे।
अनु०:-यथोक्त।

विश्वसभाजन,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/विविध-03-19/2019, सा०प्र० 8194/पटना-15, दिनांक-20.6.19
प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-42 दिनांक 18.06.2019 के प्रसंग में/श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, शिक्षा विभाग/श्री अशोक कुमार चौधरी, अवर सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग एवं श्री अनिल कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/विविध-03-19/2019, सा०प्र० 8194/पटना-15, दिनांक-20.6.19
प्रतिलिपि:-आईटीओ मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

निदेशक
3/10/19
18/06/2019

पत्रांक-भर्ती कोषांग (विविध)-03/2019 42 (भ0को0)/रा0.

40

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-18-06-2019

विशेषदूत

विषय :-

विशेष भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत विभाग के अन्तर्गत भविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर नियोजन की कार्यवाही करने हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं0-7217, दिनांक-28.05.2019, आदेश सं0-7316, दिनांक-29.05.2016 एवं कार्यालय आदेश सं0-247, दिनांक-03.06.2019 के द्वारा काउन्सिलिंग कार्य हेतु दिनांक-12.06.2019 से दिनांक-01.07.2019 तक विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, परन्तु निम्नलिखित पदाधिकारी/कर्मचारी कार्य हेतु उपस्थित नहीं हुये हैं, जिसके कारण काउन्सिलिंग का कार्य सूचारु रूप से नहीं चल रहा है :-

क्र0	पदाधिकारी/कर्मि का नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम
1	श्रीमती इन्दु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	नगर विकास एवं आवास विभाग
2	श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी, अवर सचिव	कला संस्कृति एव युवा विभाग
3	श्री अनिल कुमार उपाध्याय, अवर सचिव	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
4	श्री सुशील कुमार, अवर सचिव	खान एवं भूतत्व विभाग
5	श्री अमित कुमार सिन्हा, सहायक	भूमि संरक्षण निदेशालय
6	श्री शशिकान्त शुक्ला, सहायक	सामान्य प्रशासन विभाग

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा विभिन्न अत्यावश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए अवकाश का अनुरोध किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि काउन्सिलर्स के रूप में कार्य करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की कमी के मद्देनजर बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव/उप सचिव स्तर के अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता स्तर के 10 पदाधिकारी एवं बिहार सचिवालय सेवा के 10 सहायकों को अविलम्ब दिनांक-01.07.2019 तक के लिए प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाय एवं विभाग में प्रतिनियुक्त किये गये अनुपस्थित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाय।

विशेषसमाजन,

(जय सिंह)
निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण
निदेशालय।